न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – /2018(राजस्व वाद) दायर दिनांक– 27.3.2018

निर्णय दिनांक – 27.3.2018

अनवान

तहसीलदार	बनाम	कृषकगण
सागवाडा		खाटवाडा

निर्णय

तहसीलदार सागवाडा की ओर से प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम खाटवाडा जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 389,के खसरा नम्बर 4713/559संबंधित ग्राम की सीमा में स्थित न होकर अन्य निकटवर्ती ग्राम की सीमा में स्थित होने से प्रशासनिक असुविधा के साथ साथ भू अभिलेखों के संधारण एवं सेग्रिगेशन जमाबन्दी व नक्शें में वन टू वन मेपिंग कार्य में कठिनाई उत्पन्न होने से ग्राम सीमाओं के परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है ।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद प्रकृति का होकर राज0भू0रा0 अधिनियम की धारा 136 की श्रेणी का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि करते वांछित संशोधन के लिए अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की है ।इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र संख्या पत्र9(18)राज 6/18/13 जयपुर दिनांक 15.3.18 के तहत सीमा परिवर्तन के अधिकार श्री मान जिला कलक्टर महोदय (भू0अ0) डूँगरपुर को है। अतः प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (भू अभिलेख) डूँगरपुर को प्रेषित किए जाने आदेश दिया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को सुनाया गया । आदेशानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा